

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माडल (भीलवाड़ा)

तहसील अधिकारी- भी बी एल शर्मा, आर.ए.ए.ए.

संख्या 23/18

शुभा 20 श्री. लंकेश्वर दामोदर (डोबी) निवासी जालरिया, तहसील- माडल
प्राची

बनाम

श्रीमती रमा देवी श्री. लंकेश्वर दामोदर निवासी जालरिया तहसील- माडल (नंदा)
विपक्षीय

प्राचीना पत्र अक्टोबर द्वारा 111-128 संशुद्धा 1956

आदेश दिनांक- 23.9.18

प्राची की ओर से एक प्राचीना पत्र अक्टोबर द्वारा 111-128 संशुद्धा 1956 के तहत प्रस्तुत कर विवेदन किया कि ग्राम कवराडिया पत्थरगढी हल्का कवराडिया तहसील माडल/करेडा में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 1060, 1060/3 कुल किता 02 रकबा 18 विरवा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिका के सीमा विन्द नहीं होने से आगे दिन सीमा राकधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमे प्राची अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जाने।

प्रस्तुत प्राचीना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.9.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राची के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कसाने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अगिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्या का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राची स्वीकार योग्य है।

आदेश :

प्राची का प्राचीना पत्र द्वारा 111-128 लेण्ड रेन्नु एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कवराडिया पत्थरगढी हल्का कवराडिया तहसील माडल/करेडा में स्थित आराजी नम्बर कवराडिया कुल किता कवराडिया रकबा कवराडिया विरवा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु गू-अगिलेख निरीक्षक आलमारा की 300/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राचीयण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिथि को बनाये रखते हुये मुस्तकरील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी

माडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माडल/करेडा को भेजकर लेख है कि प्राची द्वारा राशि जमा कसाने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

माडल जिला भीलवाड़ा